रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3112] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2017/कार्तिक 17, 1939
No. 3112] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2017/KARTIKA 17, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2017

का.आ. 3550(अ).—केंद्रीय सरकार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 60 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 796(अ), तारीख 9 सितम्बर, 1998, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, अर्थात:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री; अध्यक्ष (पदेन):

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संबंधित राज्य मंत्री; उपाध्यक्ष (पदेन):

(3) सदस्य (पदेन):

(क) संसद के निर्वाचित सदस्य

(i) डॉ बंशीलाल महतो, सदस्य, लोक सभा;

(ii) डॉ भारतीबेन डी. श्याल, सदस्य, लोक सभा;

(ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधि:

(i) प्रत्येक राज्य सरकार में दिव्यांगता मामलों के प्रभारी मंत्री;

(ii प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में दिव्यांगता कार्य के प्रभारी प्रशासक/ मंत्री/उपराज्यपाल;

(ग) भारत सरकार के भार साधक सचिव -

(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,

(ii) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,

(iii) उच्चतर शिक्षा विभाग,

(iv) महिला और बाल विकास मंत्रालय;

(v) व्यय विभाग;

(vi) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग;

(vii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ;

(viii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,

(ix) ग्रामीण विकास मंत्रालय;

(x) पंचायती राज मंत्रालय;

(xi) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग,

(xii) शहरी विकास मंत्रालय;

(xiii) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय;

(xiv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग,

(xv) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय;

(xvi) विधि कार्य विभाग;

(xvii) लोक उद्यम विभाग;

(xviii) युवा कार्य विभाग;

(xix) खेल विभाग,

(xx) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय;

(xxi) नागर विमानन मंत्रालय;

(घ) सचिव, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया (नीति) आयोग;

(ङ) अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद,

(च) अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, स्वपरायणता मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता कल्याण न्यास;

(छ) अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम;

IndiaCode

(ज) अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक, कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम;

(झ) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड;

(ञ) महानिदेशक, नियोजन और प्रशिक्षण, श्रम और रोजगार मंत्रालय;

(ट) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद;

(ठ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद;

(ड) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(ढ) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद;

(ण) निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून;

(त) निदेशक, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद ;

(थ) निदेशक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली;

(द) निदेशक, अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई;

(ध) निदेशक, राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता;

(न) निदेशक, राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक;

(प) निदेशक, राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई

(फ) निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान संस्थान, बैंगलौर

(ब) निदेशक, इंडियन साइन लैग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, नई दिल्ली;

(4) नामनिर्देशित सदस्य:

(क) विशेषज्ञ -

(i) डॉ सुकुमार, 8, शिवम रवींद्र नगर, नागपुर-440022, महाराष्ट्र;

(ii) श्री भूषण पुनानी, ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन, जगदीश पटेल चौक, सूरदास मार्ग, वस्त्रपुर, अहमदाबाद - 380015, गुजरात,

(iii) श्री जी विजया राघवन लक्ष्मीप्रिया, नं. 29, चेम्बगा नगर, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम, केरल-695001;

(iv) श्री एस. के. रुंगटा, प्लॉट नं. 21, सेक्टर-6, पुष्पविहार, एम.बी. रोड, नई दिल्ली -110017;

(v) श्री पंकज मारू, 3/10, आदर्श गांधी ग्राम कालोनी, नागदा जंक्शन, मध्य प्रदेश - 456335;

(ख) दिव्यांगता से संबंधित गैर सरकारी संगठनों या दिव्यांगजन संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति

(i) सुश्री भीला लिंडा (अनुसूचित जनजाति) , चांदनी चौक लोहारा मोहल्ला हटिया, डाकघर-हटिया, पुलिस स्टेशन- जगन्नाथपुर, जिला - रांची, झारखंड,

indiaCode

(ii) श्रीमती हेमलता अशोक जाधव (अनुसूचित जाति), ए-3, प्रभाकर हाउसिंग सोसायटी, बिटको कॉलेज के पीछे, नासिक रोड, नासिक, महाराष्ट्र ;

(iii) श्रीमती कुसुम महाजन, मकान संख्या 15, ब्लॉक-5, स्प्रिंग फील्ड्स कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा;

(iv) सुश्री रुमा बैनर्जी, सेवा-इन-एक्शन, 36, एस.टी. बेड लेआउट, कोरमंगला, बैंगलौर, कर्नाटक;

(v) श्रीमती उषा पंजाबी, 1512, स्कीम सं 71बी, रंजीत हनुमान मंदिर के पीछे, इंदौर, मध्यप्रदेश;

(vi) डॉ मिलिंद माधव कस्बेकर, 16, सावंत प्लाजा, सतारा रोड, बालाजी नगर, धानकावदी, पुणे, महाराष्ट्र;

(vii) श्री वी.के. बाथम, भोपाल, मध्य प्रदेश,

(viii) श्री कनुभाई टेलर, भारत दिव्यांग कल्याण ट्रस्ट, श्रीसाई समर्थ रेजीडेंसी के पास, बी / एच सारदौतम विद्यालय, लेक व्यू गार्डन के सामने, उमरा, सूरत-395007;

(ix) डॉ उत्तम ओझा, बी.22 / 192, खोजवन मार्केट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश,

(x) श्री अतुल गुप्ता, 17, मॉल रोड, मेरठ कैंट, उत्तर प्रदेश,

(ग) वाणिज्य और उद्योग मंडल के प्रतिनिधि

(i) श्री मिलिंद कांबले, ए-1 / 1502, कुमार पिनाक्ले, ताडीवाला रोड, पुणे, महाराष्ट्र;

(ii) सुश्री अनीता राज, 1229, 17 मेन, फर्स्ट स्टेज, फेस I बीटीएम लेआउट, बैंगलौर, कर्नाटक,

(iii) डॉ. भगवती प्रसाद, सी-31, सेक्टर पी, पुष्प विहार, अलीगंज एक्सटेंशन पूर्व, लखनऊ;

(5) सदस्य सचिव (पदेन) :

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में दिव्यांगता नीति से संबंधित भारत सरकार का संयुक्त सचिव,

[फा. सं. 16-11/2017-डीडी-III]

डौली चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Personswith Disabilities]
(Divyangjan)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2017

S.O. 3550(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 60 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment number S.O. 796(E), dated the 9th September, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes the Central Advisory Board on Disability consisting of the following members, with effect from the date of publication of this notification namely,-

(1) Chairperson (ex-officio): Union Minister of Social Justice and Empowerment;

(2) Vice-Chairperson (ex-officio): Minister of State for Social Justice and Empowerment dealing with Department of Empowerment of Persons with Disabilities;

(3) Members (ex-officio):

(a) Elected Members of Parliament

(i) Dr. Banshilal Mahato, Member, Lok Sabha;

(ii) Dr. Bharatiben D. Shyal, Member, Lok Sabha;

(b) Representatives of State Governments and Union Territory Administrations:

(i) Ministers in charge of Disability Affairs in each State Government;

(ii) Lieutenant Governors or Ministers or Administrators in charge of disability affairs in each Union Territory Administration;

(c) Secretaries to the Government of India in charge of-

(i) The Department of Empowerment of Persons with Disabilities;

(ii) The Department of School Education and Literacy;

(iii) The Department of Higher Education;

(iv) The Ministry of Women and Child Development;

(v) The Department of Expenditure;

(vi) The Department of Personnel and Training;

(vii) The Department of Administrative Reforms and Public Grievances;

(viii) The Ministry of Health and Family Welfare;

(ix) The Ministry of Rural Development;

(x) The Ministry of Panchayati Raj;

(xi) The Department of Industrial Policy and Promotion;

(xii) The Ministry of Urban Development;

(xiii) The Ministry of Housing and Urban Affairs;

(xiv) The Department of Science and Technology;

(xv) The Ministry of Communications and Information Technology;

(xvi) The Department of Legal Affairs;

(xvii) The Department of Public Enterprises;

(xviii) The Department of Youth Affairs;

(xix) The Department of Sports;

(xx) The Ministry of Road Transport and Highways;

(xxi) The Ministry of Civil Aviation;

(d) Secretary, National Institute of Transforming India (NITI) Aayog;

(e) Chairperson, Rehabilitation Council of India;

(f) Chairperson, National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities;

(g) Chairman-cum-Managing Director, National Handicapped Finance Development Corporation;

(h) Chairman-cum-Managing Director, Artificial Limbs Manufacturing Corporation;

(i) Chairman, Railway Board;

(j) Director-General, Employment and Training, Ministry of Labour and Employment;

(k) Director, National Council for Educational Research and Training;

(l) Chairperson, National Council of Teacher Education;

(m) Chairperson, University Grants Commission;

(n) Chairperson, Medical Council of India;

(o) Director, National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, Dehradun;

(p) Director, National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities, Secundrabad;

(q) Director, Pandit Deendayal Upadhyay National Institute for Persons with Physical Disabilities, New Delhi;

(r) Director, Ali Yavar Jung National Institute for the Speech and Hearing Disabilities, Mumbai;

(s) Director, National Institute for the Locomotor Disability, Kolkata;

(t) Director, National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack;

(u) Director, National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai;

IndiaCode

(v) Director, National Institute for Mental Health and Sciences, Bangalore;

(w) Director, Indian Sign Language Research and Training Centre, New Delhi;

(4) Nominated Members:

(a) Experts-

(i) Dr. Sukumar, 8, Shivam Ravindra Nagar, Nagpur -440022, Maharashtra;

(ii) Shri Bhushan Punani, Blind People's Association, Jagdish Patel Chowk, Surdas Marg, VastraPur, Ahmedababd – 380015, Gujarat;

(iii) Shri G. VijayaRaghavan Lakshmipriya, No.29, Chembaga Nagar, Bakery Junction, Thiruvananthapuram, Kerala- 695001;

(iv) Shri S.K. Rungta, Plot No. 21, Sector-6, Pushp Vihar, M.B. Road, New Delhi- 110017;

(v) Shri Pankaj Maru, 3/10, Adarsh Gandhi Gram Colony, Nagda Junction, Madhya Pradesh-456335;

(b) Persons representing non-governmental organisations concerned with disabilities or disabled persons organisation-

(i) Ms Bheela Linda (ST), Chandni Chowk Lohara Mohalla Hatiya, PO – Hatiya, PS – Jagannathpur, District – Ranchi, Jharkhand;

(ii) Smt Hemlata Ashok Jadhav (SC), A-3, Prabhatkar Housing Society, Behind Bitco College, Nasik Road, Nasik, Maharashtra;

(iii) Smt Kusum Mahajan, House No. 15, Block-5, Spring Fields Colony, Faridabad, Haryana;

(iv) Ms Ruma Bannerjee, Seva-in-action, 36, S.T. Bed Layout, Kormangala, Bangalore, Karnataka;

(v) Smt Usha Punjabi, 1512, Scheme No. 71B, Behind Ranjit Hanuman Mandir, Indore, Madhya Pradesh;

(vi) Dr Milind Madhav Kasbekar, 16, Savant Plaza, Stara Road, Balaji Nagar, Dhankavdi, Pune, Maharashtra;

(vii) Shri V.K. Batham, Bhopal, Madhya Pradesh;

(viii) Shri Kanubhai Tailor, Disable Welfare Trust of India, Near Shri Sai Samarth Residency, B/H Sardauatam School, Opp. Lake View Garden, Umara, Surat-395007;

(ix) Dr. Uttam Ojha, B.22/192, Khojwan Market, Varanasi, UP;

(x) Shri Atul Gupta, 17, Mall Road, Meerut Cantt, Uttar Pradesh;

(c) Representatives of Chamber of Commerce and Industry

(i) Shri Milind Kamble, A-1/1502, Kumar Pinnacle, Tadiwala Road, Pune, Maharashtra;

(ii) Ms Anita Raj, 1229, 17 Main, First Stage, Phase I, BTM Layout, Bangalore, Karnataka;

(iii) Dr. Bhagwati Prasad, C-31, Sector-P, Pushp Vihar, Aliganj Ex, Lucknow;

(5) Member Secretary (ex-officio):

Joint Secretary to the Government of India dealing with disability policy in the Department of Empowerment of Persons with Disabilities;

[F. No. 16-11/2017-DD-III]

DOLLY CHAKRABARTY, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.11.09 19:27:59 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.